7/1

न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर. सी. ढेनवाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 1/2017

प्रविष्टिदिनांक 01.02.2017

सरकार जरिए धर्मचन्द प्रवर्तन निरीक्षक टोंक

बनाम

1–जनरल मैनेजर, क्रय–विक्रय सहकारी समिति लि0 टोडारायसिंह

2–श्री लक्ष्मण मीणा पुत्र श्री हटु मीणा निवासी छोटी बरथल निवाई

3–श्री राकेश निवासी निवाई।

4–वाहन सं0 आर0जे026 जी–0359 के मालिक/चालक श्री राधेश्याम।

5–वाहन सं0 आर0जे0 09 जी0ए0 4986 के मालिक/चालक श्री श्रीराम

6–उचित मूल्य दुकानदार श्री मुकेश मीणा ग्राम सनोदिया तह0 टोडारायसिंह

7–उचित मूल्य दुकानदार रामपुरा हाल अटेच श्री जयनारायण गुर्जर कंवरावास तह0 टोडारायसिंह जिला–टोंक

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 राजसात करने जप्तशुदा गेहूॅ 178.65 क्विं0 मय जूट बारदाना (360 कट्टे गेहूॅ के भरे हुए)

उपस्थिति :– प्रवर्तन निरीक्षक पेरोकार सरकार
श्री सेतराम चोधरी अभिभाषक
श्री शिवराज टांडी

निर्णय

दिनांक 10–6–2019

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनाक 29–1–2017 को पुलिस थाना बरोनी द्वारा जिला रसद अधिकारी टोंक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूॅ की कालाबाजारी की सूचना प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा संयुक्त जॉच दल को वास्ते जॉच पुलिस द्वारा दूरभाष पर बताये अनुसार मौके पर भेजा। बरवक्त जॉच मौके पर ग्राम छोटी भरथल में मकान मालिक श्री लक्ष्मण मीणा एंव पलिस थाना बरोनी के हेड कांस्टेबल श्री सुरेन्द्रसिंह एंव मुनीम गुर्जर मोजूद मिले। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में शिवकुमार पुत्र जगदीश नारायण हेड कांस्टेबल के बयान लिये गये उन्होने अपने बयानों में बताया कि दिनांक 28–1–2017 को रात 11.45 पी0एम पर श्री शिवजीलाल पुत्र श्री उद्दालाल जाट नि0 दहलोद व पप्पूलाल मीणा निवासी बरोनी दोराने गश्त थाने के बाहर मिले तथा इत्तेला दी कि एफ0सी0आई गोदाम में से दो ट्रक सरकारी राशन के गेहूॅ लेकर आए थे ओर बरथल गॉव में खाली कर रहे हैं। इत्तेला पर उक्त को हमराह लेकर मौके पर पहॅूचे तो पाया कि

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

लक्ष्मण पुत्र हटू मीणा के कच्चे घर में पत्थर की पट्टियों से छपे हुए एक कमरे में भारतीय खाद्य निगम की छाप वाले मशीन से सिलाई किये हुए गेहूँ के कट्टे रखे हुए थे जिन पर क्रोप ईयर 2014–15 अंकित था। मकान मालिक श्री लक्ष्मण मीणा से पूछ ताछ करने पर बताया कि यह गेहूँ मेरे या मेरे परिवार के नहीं है यह निवाई के बनिये श्री राकेश के हैं उसके द्वारा कल रात को 7–8 बजे राकेश ने फोन पर यह कह कर खाली करवाये हें कि मेरे पास जगह नहीं है दो गाड़ी गेहूँ की खरीद कर लाया हूँ उन्हें अपने मकाान में खली करवालो। मौके पर हेड कांस्टेबल श्री सुरेन्द्रसिंह एंव कांस्टेबल मुनीम गूर्जर ने बताया कि कल रात को ट्रक सं0 आर0जे026 जी–0359 एंव आर0जे0 09 जी0ए0 4986 से यहॉ पर गेहूँ आया था। इस सन्दर्भ में मौके पर मोजूद प्रबन्धक, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम टोंक श्रीमति मोनिका मीणा ने बताया कि कल एफ0सी0आई0 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूँ की 39 गाड़िया उठाई गई थी ओर जो गेहूँ का उठाव होता है उन कट्टो की भी इसी प्रकार की मशीन से सिलाई होती है तथा अभी क्रोप ईयर 2014–15 के गेहूँ का उठाव हो रहा है। दिनांक 28–1–2017 को ड्यूटी पर मोजूद श्री शम्भूसिंह जेसीओ खाद्य आपूर्ति निगम टोंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जिन गाडियों से गेहूँ का उठाव हुआ है गाड़ी सं0 आर0जे0 09 जी0ए0 4986 जिसमें ड्राईवर का नाम श्रीराम होना बताया है। उक्त गाड़ी में उचित मूल्य दुकानदार ग्राम रामपुरा बोटुन्दा लादूराम अटेच हाल जयनारायण गूर्जर कंवरावास के 180 कट्टे वजनी 90.20 क्विं0 की एक गाड़ी भिजवाई गई थी तथा गाड़ी सं0 आर0जे026 जी–0359 जिसमें ड्राईवर का नाम श्री राधेश्याम होना बताया से ग्राम सनोदिया के डीलर श्री मुकेश कुमार मीणा के 180 कट्टे वजनी 91.30 क्विं0 भिजवाई गई थी। तहसील टोडारायसिंह हेतु थोक विक्रेता के रूप में क्रय–विक्रय सहकारी समिति लि0 टोडारायसिंह कार्य करती है एफ0सी0आई से गेहूँ का उठाव करवाकर उचित मूल्य दुकानदारों के निर्धारित दुकान/गोदाम पर पहूँचाने की जिम्मेदारी क्रय–विक्रय सहकारी समिति की होती है। चूँकि जिन गाड़ियों से यह गेहूँ लाया गया था उन्हीं गाडियों से दिनांक 28–1–2017 को पीडीएस का गेहूँ भेजा गया था एंव श्री राकेश को बार–बार दूरभाष पर सम्पर्क करने पर फोन रिसीव नहीं करना एंव शिकायतकर्ताओं द्वारा गेहूँ सरकारी होने का कहने आदि तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या गेहूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मानकर कब्जा राज लिया गया तथा वजन करवाकर 360 कट्टे मय जूट के बारदाना वजनी 178.65 क्विं0 स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से संभाल कर रखने हेतु क्रय–विक्रय सहकारी समिति निवाई के प्रतिनिधि कर्मचारी श्री अजीतसिंह एंव श्री कुलदीप कुमार की सुपुर्दगी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि गेहूँ को संभाल कर रखें एंव जब भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करें।

इस प्रकार उक्त कृत्य कर मैनेजर, क्रय–विक्रय सहकारी समिति टोडारायसिंह,उचित मूल्य दुकानदार श्री मुकेश मीणा ग्राम सनोदिया तह0 टोडारायसिंह एंव रामपुरा बोटुन्दा के हाल अटेच उचित मूल्य दुकानदार श्री जयनारायण गुर्जर तथा ट्रक सं0 आर0जे026 जी–0359 के मालिक/चालक श्री राधेश्याम एंव श्री लक्ष्मण मीणा पुत्र हट्टूलाल मीणा एंव वाहन सं0 आर0जे0 09 जी0ए0 4986 के मालिक/चालक श्री श्रीराम तथा राकेश (बणिया) निवासी निवाई ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश्‍ा 2001 की धारा–2(1) (जे)(के)(एल)(एम) 5 परन्तुक(1) एंवा राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

7/3

विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार की शर्त सं0 1,11,14,18 एंव राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः जब्त शुद्वा 178.65 क्वि0 गेहूँ मय बारदाना राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। पेरोकार सरकार व अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया कि पुलिस थाना बरोनी व जिला रसद अधिकारी को दूरभाष पर सूचना देने पर जांच दल द्वारा उक्त 178.65 क्वि0 गेहूँ जो जप्त किया है वह प्रार्थी के है जिन्हें गलतफहमी में जब्त किया है। जिला रसद कार्यालय के प्रर्वतन निरीक्षक ने एफ.आई.आर. नम्बर 26/2017 व 28/17 राशन डीलर जयनारायण गुर्जर के विरूद्व पुलिस थाना बरोनी मे दर्ज कराई थी। जिसमे प्रार्थी के 360 जूट के कट्टे गेहूँ जप्त किये गये थे,उक्त एफ.आई.आर के अनुसंधान मे अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त गेहूँ को प्रार्थी के पिता घनश्याम जैन द्वारा संचालित फर्म गर्ग ट्रेडिंग कम्पनी निवाई के माने है जो कृषि उपज का व्यापार करने के लिए पंजीकृत फर्म है,उक्त फर्म के प्रोपराईटर घनश्याम जैन ने प्रार्थी(राकेश जैन) के पक्ष मे पॉवर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित कर रखी है,उक्त एफ.आई.आर द्वारा जप्त 360 कट्टे गेहूँ गर्ग ट्रेडिंग कम्पनी निवाई के है जो वर्तमान मे जप्त है,जिनको प्रार्थी अपनी सुपुर्दगी मे लेने का अधिकारी है। पुलिस ने एफ.आई.आर. नम्बर 26/2017 मे बाद अनुसंधान एफ.आर.नम्बर 28/2017 सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी है,जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। अतः जप्त शुद्वा 360 जूट के कट्टे गेहूँ वजनी 178.65 क्वि0 गेहूँ प्रार्थी को सुपुर्द किया जाना न्यायसंगत है।

अप्रार्थी सं0 6 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया है कि उक्त जप्तशुदा गेहूँ से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है। दिनांक 14-2-2017 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थी की दुकान को भौतिक सत्यापन करने पर मौके पर मिला गेहूँ वितरण रजिस्टर व अमानता उपलब्धता के अनुसार सही व पूर्ण मात्रा में पाया गया जिसका पृष्टांकन स्वंय प्रवर्तन निरीक्षक ने प्रार्थी के स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया है प्रार्थी को बिना किसी आधार पर पक्षकार बनाया गया है।

अप्रार्थी सं0 4 व 5 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया है कि हमारे द्वारा अपने वाहनों में राशन के गेहूँ की कालाबाजारी करने के प्रयोजन से कोई परिवहन नहीं किया है तथा न ही कालाबाजारी करने के उद्देश्य से कोई राशन का गेहूँ उठाया है उक्त सम्पूर्ण मामला गलतफहमी में दर्ज किया गया है जो एफ0आई0आर0 राशन डीलर जयनारायण गुर्जर तथा मुकेश कुमार मीणा के नाम दर्ज कराई कराई थी जिसमें पुलिस ने एफ0आर0 प्रस्तुत करदी है तथा आवेदक द्वारा उक्त दोनों राशन डीलरों का अनुज्ञा पत्र भी बहाल कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट है कि आवेदक व उसका विभाग भी इस बात को मानता है कि उक्त राशन डीलरों द्वारा कोई अनियमित्ता व कालाबाजारी नहीं की गई है, जिससे उक्त आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पेरोकार सरकार व अभिभाषकगण अप्रार्थी की बहस सुनी। पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रर्वतन निरीक्षक ने एफ.आई.

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

आर. नम्बर 26/2017 राशन डीलर जयनारायण गुर्जर के विरूद्व पुलिस थाना बरोनी मे दर्ज कराई थी। जिसमे प्रार्थी के 360 जूट के कट्टे गेहूँ जप्त किये गये है,उक्त एफ.आई.आर के अनुसंधान मे अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त गेहूँ को प्रार्थी के पिता घनश्याम जैन द्वारा संचालित फर्म गर्ग ट्रेडिंग कम्पनी निवाई के माने है जो कृषि उपज का व्यापार करने के लिए पंजीकृत फर्म है,उक्त फर्म के प्रोपराईटर घनश्याम जैन ने प्रार्थी(राकेश जैन) के पक्ष मे पॉवर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित कर रखी है,उक्त एफ.आई.आर द्वारा जप्त 360 कट्टे गेहूँ गर्ग ट्रेडिंग कम्पनी निवाई के माने है जो वर्तमान मे जप्त है,जिनको प्रार्थी अपनी सुपुर्दगी मे लेने का हकदार है। पुलिस ने एफ.आई.आर. नम्बर 26/2017 मे बाद अनुसंधान एफ.आर.नम्बर 28/2017 सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी है,जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। पेरोकार सरकार ने दौराने बहस उक्त जप्त शुद्वा गेहूँ को प्रार्थी को सुपुर्दगी मे दिये जाने की सहमति व्यक्त की है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। दिनांक 29.01.2017 को पुलिस थाना बरोनी द्वारा जिला रसद अधिकारी टोंक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूँ की कालाबाजारी की सूचना जिला रसद अधिकारी टोंक को दिये जाने के फलस्वरूप जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा संयुक्त जांच दल गठित कर वास्ते जांच दल को मौके पर भेजा। जांच दल द्वारा जांच के उपरान्त कुल 360 जूट के कट्टे वजनी 178.65 क्विटल गेहूँ को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मानकर कब्जे राज लिया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से क्रय विक्रय सहकारी समिति के कर्मचारी अजीत सिंह व कुलदीप कुमार हुड्डा को सुपुर्द किये जाकर पुलिस थाना बरोनी मे प्रथम सूचना रिपोर्ट 3/7 ई0सी0 एक्ट में दर्ज करवाई गई जिस पर पुलिस थाना बरोनी द्वारा एफ.आई.आर. नम्बर 26/2017 दर्ज कर अनुसंधान मे दर्ज कराये गये मामले को झूठा मानकर बाद अनुसंधान एफ..आर.लगाकर सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत कर की गई। पेरोकार सरकार ने दौराने बहस उक्त दोनों डीलरों के गेहूँ का भौतिक सत्यापन करना व जॉच में गेहूँ का स्टॉक सही होना बताया है। माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एंव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा एफ.आर.नम्बर 26/2017 स्वीकार की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10–6–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर0सी0ढेनवाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner